न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन न0 **134/2021**

प्रार्थी :– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

बनाम

विप्रार्थी :–. ग्राम पंचायत सांभरा

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, उसको रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है। ग्राम सांभरा में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग(जो लागू नहीं) रिफाईनरी से रिछोली ग्रेवल से जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है। ग्राम ~~सांभरा में~~ चम्पाबेरी एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो राष्टीय राजमार्ग संख्या से ग्राम चम्पाबैरी के खसरा नं. 182/34 भूमि में उक्त ग्रेवल रास्ता चल रहा है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में वर्णित विवरण अनुसार रिफाईनरी –चम्पाबेरी रिछोली ग्रेवल सडक रास्ता दर्ज करने का चम्पाबेरी निवेदन किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समूची स्थिति पर विवेचन किया गया उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है एवं मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते का आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 18:53:27 IST
Reason: SelfAttested

विप्रार्थी वगैरहा तहसीलदार पचपदरा के द्वारा सूचित किये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधार पत्रावली पर नही है। बाद विवेचन तहसीलदार पचपदरा की ओर से ग्राम चम्पाबैरी में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग(जो लागू नहीं) रिफाइनरी –चम्पाबैरी –रिछौली ग्रेवल सडक से जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है। ग्राम चम्पाबैरी में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो रिफाइनरी

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

–चम्पाबैरी –रिछौली ग्रेवल सड़क जोड़ने वाली सड़क कटान रास्ता तक वर्तमान में चल रहा है। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को संबंधित काश्तकारन की सहति अनुसार रास्ते के लिए जोड़ने हेतु स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा स्वीकार कर ग्राम ग्राम चम्पाबैरी में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो रिफाइनरी –चम्पाबैरी –रिछौली ग्रेवल सडक से ग्राम चम्पाबैरी के खसरा नं. 182/34 रकबा 203–14 बीघा में से 5–10 बीघा भूमि में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग प्रभावित प्रस्तावित परिशिष्ट 'अ' के अनुसार 60 फीट चौडा रास्ता राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदारान के नाम खाते से ही दर्ज रहेगा। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा ।

(नरेश सोनी)
उप खण्ड अधिकारी
भू–अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 20.07.2021 को खुले न्यायालय में को सुनाया गया ।

भू–अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.01 18:53:27 IST
Reason: SelfAttested